CIN -U31200UP2003SGC027461

# कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता

## ''पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0''

विद्युत वितरण मण्डल

बलिया-277001

ई-मेल: se.ballia@puvvnl.com

पत्रांक : 3651 /वि0वि0मं0(ब)/ दिनांक : 23 / 09 / 2024

विषय:- श्री राजेश पटेल, निविदा कार्मिक , 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिविल लाईन बलिया को पुनः नियोजित करने के सम्बन्ध में।

मेसर्स ग्लोबटेक क्रिएशन प्रा0 लि0
सिसवा बाजार महाराजगंज।

ई-मेल द्वारा

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय बलिया के कार्यालय पत्रांक 2205/वि0वि0ख0द्वि0(ब0)/दिनांक 21.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न)। जिसके द्वारा श्री राजेश पटेल, निविदा कार्मिक, 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिविल लाईन , बलिया को पुनः कार्य पर नियोजित किये जाने हेतु पत्राचार किया गया है। संज्ञानित हो कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय बलिया के कार्यालय पत्रांक 1933/वि0वि0ख0द्वि0(ब0)/दिनांक 05.09.2024 द्वारा उक्त निविदा कार्मिक को श्री नीरज वर्मा (टी0जी0-2) के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में कार्य से निष्काषित किये जाने हेतु संस्तुति पत्र मण्डल कार्यालय को प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्र संख्या 3479 दिनांक 06.09.2024 द्वारा उक्त निविदा कार्मिक की सेवा समाप्ति हेतु आपको निर्देशित किया गया था, जिसके पश्चात् आप द्वारा अपने पत्र संख्या GLOBETECH/SBZ/EMPLOYEE/NOTICE/L.NO 35606 दिनांक 06.09.2024 द्वारा उक्त निविदा कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उसके सभी कार्यों एवं अधिकारों पर रोक लगा दी गई एवं स्पष्टीकरण मांगा गया। अवगत हो कि उक्त निविदाकार्मिक द्वारा शपथ पत्र के साथ अधिशासी अभियन्ता के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भविष्य में अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग पूर्ण एवं विनम्रता का व्यवहार करेंगे। यदि भविष्य में उक्त निविदा कार्मिक की कार्यशैली में आवांछित क्रियाकलाप परिलक्षित होता है, तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए (शपथ पत्र संलग्न)।

अतः उपरोक्त के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार पटेल, निविदा कार्मिक , 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिविल लाईन बलिया को पुनः कार्य पर नियोजित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

(अभिषेक सिंह यादव)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक /वि0वि0म0(ब0)/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण) आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय बलिया।

(अभिषेक सिंह यादव)
अधीक्षण अभियन्ता

CIN U31200UP2003SGC027461

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता**
"पूर्वांचलविद्युतवितरणनिगम लि0"
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय
बलिया 277001
ई–मेल: eeeddii2017@gmail.com

पत्रांक 2205 /वि0वि0ख0द्वि0(ब)/ दिनांक : 21/09/ 2024

विषय :– निविदा कर्मी द्वारा किये गये गलत आचरण पर स्पष्टीकरण के संबन्ध में।

अधीक्षण अभियन्ता,
विद्युत वितरण मण्डल बलिया।

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि श्री राजेश कुमार पटेल निविदा कर्मी को श्री नीरज वर्मा (टी0जी0–2) के साथ दुव्यहार करने के आरोप पर कार्य से निष्कासित कर दिया गया था। इस संबन्ध मे श्री राजेश कुमार पटेल, 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र–सिविल लाइन, बलिया द्वारा शपत पत्र के साथ इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि भविष्य मे अपने सहकर्मीयों के साथ सहयोग पूर्ण एवं विनम्रता का व्यवहार करेगे यदि भविष्य मे उनकी कार्यशैली मे आवंछित कियाकलाप परिलक्षित होता है तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

अतः उपरोक्त निविदाकार्मिक श्री राजेश कुमार पटेल को पुनः नियोजित करने हेतु एजन्सी मेसर्स ग्लोबटेक कियेशन प्रा0लि0 को कृपया अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा करे।

संलग्नक :– यथोपरि।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक : /वि0वि0ख0द्वि0(ब)/ तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित ।
1. मुख्य अभियन्ता, (वितरण) आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़।
2. उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड–प्रथम, नगर बलिया।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN

INDIA

NOTARIAL NOTARIAL 1

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

86AE 067070

शपथ पत्र

समक्ष - अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय
बलिया।

मैं शपथकर्ता राजेश पटेल शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि-

1. मैं शपथकर्ता शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि राजेश पटेल और मेरे मित्र नीरज वर्मा के साथ जो भी विवाद हुआ था उसके लिए मुझे खेद है। जिसका हम दोनों के बीच सुलह समझौता हो चुका है।
2. मैं शपथकर्ता शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि भविष्य में पूर्व की भाँति अपने सहकर्मी एवं नियमीकर्मियों के साथ विनम्र मित्रता पूर्ण व्यवहार करूंगा।
3. मैं शपथकर्ता शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं सदैव अपने उच्च अधिकारियों का पूर्ण मनोयोग से अनुपालन करूंगा।
4. मैं शपथकर्ता शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि यदि भविष्य मे कोई त्रुटि पायी जाती है तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारी स्वतन्त्र रहेंगे।
5. मैं उपरोक्त हल्फन बयान करता हूँ कि इस शपथ पत्र में वर्णित समस्त बातें सही हैं इसमें कोई बात छिपायी नही गयी है।

हस्ताक्षर राजेश पटेल

हस्ताक्षर राजेश पटेल

The Instrument Presented Before Me Today ......... by .........

Contents Sworn ......... Identified By Sri ......... Which I Note Verily Attest.

NOTARY

NOTARY ... GOVT. OF UP ... Ballia

Scanned with OKEN Scanner

## सुलह समझौता

समक्ष- **श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता**
**विद्युत वितरण मण्डल, बलिया।**

निरज वर्मा (एस०एस०ओ०) ऑन ड्यूटी विशुनीपुर पावर हाऊस, बलिया। ............प्रथम पक्ष

बनाम

राजेश पटेल लाईनमैन, हनुमानगंज, पावर हाऊस, बलिया। ............द्वितीय पक्ष

यह कि उपभय पक्ष आपस में आज दिनांक 11.09.24 को सुलह समझौता करने हेतु आपके समक्ष सुलहनामा पत्र प्रस्तुत करते है, जो निम्नवत् है-

1. चूंकि हम प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच अपनी विवाद हो गया था जिसके बारे में प्रथम पक्ष श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, बलिया के यहाँ एक शिकायती पत्र दिनांक 28.08.2024 को प्रस्तुत किए कि द्वितीय पक्ष ने हमारे यहां पावर हाऊस पर आकर झगड़ा फसाद व गाली गुप्ता किए जकि इस तरह की कोई विवाद नहीं हुआ। निरज वर्मा द्वितीय पक्ष राजेश कुमार पटेल आपस मे अच्छे सहयोगी है व मित्र भी हैं। अब हम प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष इस प्रकरण को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं व हम दोनो के लोगों में आपसी सुलह समझौता भी हो चुका है। जिसके बारे में यह सुलह समझौता पत्र पर दोनो पक्ष आपसी सहमती से अपना-अपना हस्ताक्षर बना करके श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, बलिया के समक्ष प्रस्तुत करके उक्त प्रकरण को समाप्त कर देंगे।

2. यह कि उक्त प्रकरण के बारे में श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, बलिया द्वारा हमारी कम्पनी ग्लोबटेक क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड को इसकी सूचना दिया गया जिस पर कम्पनी द्वारा इस प्रकरण को संज्ञान लेकर मुझे द्वितीय पक्ष से स्पष्टीकरण मागा गया। जिस पर यह सुलहनामा के बाद श्रीमान् अधक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, बलिया द्वारा इस सम्बंध में दी गयी सूचना के आधार पर जो कार्यवाही की जानी थी। इस सुलह समझौते पत्र के प्रस्तुत होने के बाद प्रकरण निस्तारण करने की कृपा करें।

3. यह कि हम उपभय पक्ष आपस में सुलह समझौता कर चुके है और भविष्य में भी इस सुलह समझौता पत्र हम उपभय पक्ष पर बाध्यकारी होगा और उभय पक्ष किसी प्रकार की कोई भी शिकायती पत्र एक दूसरे विरुद्ध प्रस्तुत नहीं करेंगे

4. यह कि उपरोक्त सुलह समझौते के आधार पर उक्त प्रकरण को निस्तारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

दिनांक -

ह० नीरज कुमार वर्मा
S.S.O मो०-9129832649

निरज वर्मा
(एस०एस०ओ०) ऑन ड्यूटी
विशुनीपुर पावर हाऊस, बलिया।
प्रथम पक्ष

ह० [signature]
मो० 8795341414

राजेश पटेल
लाईनमैन,
हनुमानगंज, पावर हाऊस, बलिय
द्वितीय पक्ष

आवश्यक कार्य,
दोनों पक्ष में आपसी समझौता किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण में निस्तारण हेतु प्रेषित।
अ०अ०(वि०)

# कायालय -- सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)

## ग्लोबटेक क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय - गोपाल नगर, सिसवा बाज़ार, जनपद- महराजगंज (उ०प्र०) - २७३१६३

GLOBETECH/SBZ/EMPLOYEE/NOTICE/L.NO.-35606 06-09-2024

**<u>स्पष्टीकरण पत्र</u>**

पंजीकृत डाक/ई-मेल/वाट्सएप द्वारा प्रेषित।

सेवा में,

RAJESH KUMAR PATEL
S.O PARMESHWAR PATEL
HAEDIL COLONY
CIVIL LINE
BALLIA - 277001
BALLIA, UTTAR PRADESH
8795341414

विषय - आपके द्वारा बकायदारों की कटी हुयी लाइन को जुड़वाने हेतु उपकेन्द्र जैसे संवेदनशील स्थान पर नशे की हालत में विभागीय टी०जी०2 श्री नीरज के साथ मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप की लिखित सूचना प्राप्त होने पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपकी तैनाती हमारी कंपनी में दिनांक 01-11-2022 से है। वर्तमान में आप CIVIL LINE BALLIA में MAINTENANCE कार्यहेतु UN SKILLED श्रेणी के पद पर कार्यरत है। उपरोक्त विषयक "आपके द्वारा बकायदारों की कटी हुयी लाइन को जुड़वाने हेतु उपकेन्द्र जैसे संवेदनशील स्थान पर नशे की हालत में विभागीय टी०जी०2 श्री नीरज के साथ मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप की लिखित सूचना प्राप्त होने पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।" दिनांक 06-09-2024 से आपके सभी कार्यों व अधिकारों पर रोक लगा दी गयी है। उपरोक्त विषयक पर अपना स्पष्टीकरण दिनांक 17-09-2024 तक प्रस्तुत करें की क्यूँ न आपकी सेवा समाप्त कर दिया जाए।

यदि आप विषयांकित के सन्दर्भ में अपने स्पष्टीकरण पर सूचना/शिकायत/आरोप कर्ता की टिप्पणी सहित निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं करते है तो आपके ऊपर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्नक -

1. विषयांकित के संदर्भ में अधीक्षण अभियंता द्वारा प्राप्त पत्र सं० 3479 दि० 06-09-24 की प्रति।

भवदीय

Mamta

ममता बिष्ट
कृते-सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)

<u>प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पंजीकृत डाक/ई-मेल/वाट्सएप द्वारा प्रेषित।</u>

1. मुख्य अभियन्ता (वितरण) आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़ को ईमेल द्वारा प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मंडल- द्वितीय बलिया को ईमेल द्वारा प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड- द्वितीय बलिया को ईमेल द्वारा प्रेषित।
4. उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड- बलिया- प्रथम को व्हाट्सप द्वारा प्रेषित।
5. अवर अभियंता 33/11 KV विद्युत उपकेंद्र- सिविल लाइन बलिया को व्हाट्सप द्वारा प्रेषित।

भवदीय

ममता बिष्ट
कृते-सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासीअभियन्ता
"पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0"
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय
बलिया-277001
ई–मेल: eeeddiiballia2017@gmail.com

CIN -U31200U92003SGC027461

पत्रांक : 1953 /वि0वि0ख0द्वि0(ब)/ दिनांक : 05/09/ 2024

विषयः निविदा कर्मी श्री राजेश पटेल को कार्य से निष्कासित करने के सम्बन्ध में।

अधीक्षण अभियन्ता,
वि0वि0 मण्डल,
बलिया।

महोदय,

श्री नीरज कुमार वर्मा, टी0जी02/उपकेन्द्र परिचालक 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बिशुनीपुर द्वारा अपने शिकायती पत्र दिनांक 28.08.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सिविल लाईन उपकेन्द्र पर मे0 ग्लोबटेक के द्वारा तैनात किये गये निविदाकर्मी श्री राजेश पटेल के द्वारा दिनांक 28.08.2024 को रात्रि 22.30 बजे मदिरापान कर ड्यूटी के दौरान श्री नीरज कुमार वर्मा, टी0जी02/उपकेन्द्र परिचालक से मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई। श्री राजेश पटेल के द्वारा मेगा डिस्कनेक्शन के दौरान विच्छेदित बकायेदार उपभोक्ता की लाइन को जोड़वाने हेतु दबाव बनाया जा रहा था। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी प्रथम नगर बलिया से जाँच कर यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था। उपखण्ड अधिकारी प्रथम नगर बलिया द्वारा उक्त निविदा कार्मिक श्री राजेश पटेल को कार्य से तत्काल निष्कासित करने की संस्तुति प्रेषित की गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मैं0 ग्लोबटेक एजेन्सी के माध्यम से तैनात श्री राजेश पटेल निविदा कर्मी 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र सिविल लाइन बलिया को कार्य से तत्काल हटाने हेतु एजेन्सी को निर्देशित करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक : /वि0वि0ख0द्वि0(ब)/दिनांक :....../....../2024 ।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड प्रथम नगर बलिया।
2. सुपरवाईजर, मैं0 ग्लोबटेक कियेशन प्रा0 लि0 सिसवा बाजार महाराजगंज ।

अधिशासी अभियन्ता

O.S.

# कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता

## ''पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0''

विद्युत वितरण मण्डल
बलिया–277001
ई–मेल: se.ballia@puvvnl.com

CIN-U31200U92003SGC027461

पत्रांक : 3579/वि0वि0मं0(ब)/ग्लोबटेक दिनांक : 06/09/2024

विषयः– निविदा कार्मिक की सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में।

मेसर्स ग्लोबटेक क्रिएशन प्रा0 लि0,
सिसवा बाजार महाराजगंज।

ई–मेल द्वारा

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय बलिया के कार्यालय पत्रांक 1933/वि0वि0ख0दि0(ब)/दिनांक 05.09.2024 कर सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय बलिया के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिविल लाईन पर कार्यरत निविदा कार्मिक श्री राजेश पटेल द्वारा दिनांक 28.08.2024 को रात्रि 22:30 बजे मदिरापान कर डयूटी के दौरान श्री नीरज कुमार वर्मा, टी0जी0–2/उपकेन्द्र परिचालक, 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र विशुनीपुर से मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई। श्री राजेश पटेल के द्वारा मेगा डिस्कनेक्शन के दौरान विच्छेदित बकायेदार उपभोक्ता की लाईन को जोड़वाने हेतु दबाव बनाया जा रहा था। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड–प्रथम नगर बलिया द्वारा भी उक्त निविदा कार्मिक को कार्य से तत्काल निष्काषित करने की संस्तुति अधिशासी अभियन्ताा, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय बलिया को प्रेषित की गई है।

अतः उपरोक्त के अनुक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निविदा कार्मिक श्री राजेश पटेल , 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिविल लाईन की तत्काल सेवा समाप्त करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक– यथोपरि।**

(अभिषेक सिंह यादव)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक 3579/वि0वि0म0(ब0)/तद्दिनांक

**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, पू0वि0वि0नि0लि0, डिस्काम वाराणसी।
2. निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0) पू0वि0वि0नि0लि0, डिस्काम वाराणसी।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण) आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय बलिया।

(अभिषेक सिंह यादव)
अधीक्षण अभियन्ता